झारखण्ड सरकार

<u>वन एवं पर्यावरण विभाग</u>

अधिसूचना

ज्ञापांक - 3/पर्या0प्रदू0 (विविध) - 31/2008 ..................... दिनांक

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के द्वारा प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण हेतु किये गये प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए धारा 4 (1) के तहत् झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद का गठन किया गया है।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका (सिविल) संख्या 657/1995 में दिनांक - 14.10.2003 को पारित आदेश में दिए गए विभिन्न निदेशों का कालबद्ध रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उक्त आदेश के अंतर्गत गठित अनुश्रवण समिति एवं मेनन कमिटि की अनुशंसा है कि आवेदक विज्ञान, अभियांत्रिकी अथवा तकनीकी में स्नातकोत्तर की डिग्री रखता हो तथा पर्यावरण सरंक्षण के क्षेत्र में कार्य करने का पर्याप्त अनुभव हो।

सदस्य सचिव के संबंध में वैधानिक प्रावधानों (जल / वायु अधिनियम) के अनुसार वांछनीय है कि वे पूर्णकालिक हों तथा उन्हें प्रदूषण नियंत्रण के वैज्ञानिक, अभियांत्रिक तथा प्रबन्धन संबंधित क्षेत्रों में योग्यता, जानकारी एवं अनुभव हो ।

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 974 (1974 का 6 वां) की धारा 64, उप धारा-2, क्लॉज –ई- के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के सदस्य सचिव की सेवा शर्तो को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है :-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :-

(1) इन नियमों को झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद सदस्य सचिव नियुक्ति एवं सेवाशर्त नियमावली, 2013 कहा जायेगा ।

(2) ये नियम अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होंगे ।

(3) पदों की संख्या-एक (कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय)

(4) नियुक्ति की विधि - प्रतिनियुक्ति के आधार पर

(5) वेतनमान 16,400-20,000 रू॰ (अपुनरक्षित) या षष्टम वेतनमान के अनुरूप वेतनमान PB-IV- 37400-67000 रू ग्रैड पे 8900

(6) आयु सीमा - आवेदन प्राप्ति हेतु अन्तिम तिथि को प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 57 वर्ष होगी ।

(7) इस नियुक्ति के तत्काल पहले इस संस्था अथवा इस प्रकार के अन्य संस्था/राज्य सरकार के विभाग में अन्य अतिरिक्त संवर्गीय (EX-Cadre) पद धारित करने की अवधि के सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः अधिकतम तीन वर्ष होगी।

(8) सेवा शर्त - पर्षद के सदस्य सचिव के भत्ता योगदान का समय, वेतन, भविष्य निधि, उपादान, सेवानिवृति आयु, चिकित्सा सुविधा एवं अन्य सेवा शर्त राज्य सरकार / केन्द्र सरकार के अधीन समान वेतनमान का पद धारण करनेवाले पदाधिकारी के संबंध में लागू नियम एवं आदेश द्वारा विनियमित होंगे ।

(9) योग्यता एवं अनुभव - केन्द्र सरकार / राज्य सरकारों / सार्वजनिक उपक्रमों / विश्वविद्यालयों मान्यता प्राप्त शोध संस्थानों / स्वायत अथवा अद्र्व सरकारी अथवा वैधानिक संस्थानों के अधीन पदाधिकारी :-

(क) (i) नियमित रूप से सदृश्य पद धारण करनेवाले ; अथवा

(ii) 14300-18300 (अपुनरक्षित) या षष्टम वेतनमान के अनुरूप PB-IV 37400-67000, ग्रैड पे 8700 के वेतनमान वाले पदों पर पाँच वर्ष की नियमित सेवा से अन्यून नहीं य एवं

(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखनेवाले :-

(i) पर्यावरण से संबंधित भौतिकीय विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री या पर्यावरण से संबंधित विषय पर अभियंत्रण डिग्री मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या समकक्ष।

(ii) सरकारी विभागों / संस्थाओं / केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों / विश्वविद्यालयों / मान्यता प्राप्त शोघ संस्थाओं / स्वायत्ता अथवा अर्द्ध सरकारी अथवा वैधानिक संस्थाओं में प्रबंधन स्तर पर दस वर्ष का अनुभव तथा पर्यावरण संरक्षण संबंधी मामलों अथवा एतद् मामलों के लिए स्थापित संस्थाओं के प्रशासकीय अनुभव के साथ ।

10. निरर्हता:- वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। परन्तु यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि इस प्रकार का विवाह ऐसे व्यक्ति अथवा दूसरे पक्ष के संदर्भ में लागू विषेष विधि के अन्तर्गत अनुज्ञेय है, अथवा इसके लिए अन्य आधार है, तो राज्य सरकार ऐसे किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रभाव से मुक्त कर सकती है ।

11. नियुक्ति की प्रक्रिया :- सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति गठित है, जिसके सदस्य निम्नवत् है :-

| | | |
|---|---|---|
| मुख्य सचिव, झारखण्ड | - | अध्यक्ष |
| सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड | - | सदस्य |
| सचिव, उद्योग विभाग, झारखण्ड | - | सदस्य |
| सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, | - | सदस्य झारखण्ड |

(i) मृत्यु त्याग पत्र या पदच्युति के कारण सदस्य सचिव का पद रिक्त होने के एक माह के भीतर तथा सदस्य सचिव की सेवानिवृति या कार्यकाल समाप्त होने के छः माह पूर्व राज्य सरकार चयन समिति को रिक्ति के भरे जाने हेतु रिक्ति संसूचित करेगी ।

(ii) रिक्ति संसूचित होने के 3 माह के भीतर चयन समिति, सदस्य सचिव के चयन की कार्रवाई पूरी करेगी ।

(iii) भेजी गयी रिक्ति के लिए चयन समिति दो नामों के पैनल की अनुशंसा करेगी।

(iV) किसी व्यक्ति को सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त करने हेतु अनुशंसित करने के पूर्व, चयन समिति आश्वस्त हो लेगी कि ऐसे व्यक्ति का कोई ऐसा आर्थिक अथवा अन्य हित न हो जो सदस्य सचिव के रूप में उसके कर्तव्यों को पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर प्रभावित कर सकता है ।

(V) चयन समिति द्वारा की गयी दो नामों की अनुशंसा में से किसी एक की नियुक्ति सदस्य सचिव के पद पर मुख्यमंत्री के अनुमोदन के पश्चात की जायेगी।

(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक - 3/पर्या0प्रदू0 (विविध) - 31/2008 .................... दिनांक

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि 100 अतिरिक्त मुद्रित प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक - 3/पर्या0प्रदू0 (विविध) - 31/2008 .................... दिनांक

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची / माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची / मुख्य सचिव, झारखण्ड के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग, अलीगंज रोड, नई दिल्ली –110003 /अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, परिवेश भवन, अर्जुन नगर, नई दिल्ली / विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची / सभी विभाग के प्रधान सचिव / सचिव / सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड / सभी उपायुक्त, झारखण्ड / महालेखाकार, झारखण्ड, रांची / सभी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची /सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची / सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड / अध्यक्ष / सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव